

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

**सा.का.नि. 246(अ).—** केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (1), उप-धारा (2) और उपधारा (4), धारा 140 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2), धारा 141 की उप-धारा (3), धारा 143 की उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (8) और उप-धारा (12), धारा 148 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी के अंतर्गत आने वाले (केंद्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप नियम, 1956 या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 है।  
(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
  - (ख) “उपाबंध” से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;
  - (ग) “फीस” से कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
  - (घ) “प्ररूप” या “ई-प्ररूप” से इन नियमों के अधीन में दिया गया कोई ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जिसका उपयोग ऐसे विषय के लिए किया जाएगा जिससे वह संबंधित है;
  - (ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों के प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन अधिनियमों या उक्त नियम में उनके हैं।

3. **लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति की रीति और प्रक्रिया** – (1) ऐसी कंपनी की दशा में जिसके लिए धारा 177 के अधीन लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है वहां वह समिति और उस दशा में जहां ऐसी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है वहां बोर्ड लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचारण किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यष्टि या फर्म की अर्हताओं और अनुभव पर विचार करेगा तथा यह देखेगी कि क्या ऐसी अर्हताएं और अनुभव कंपनी के आकार और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं:

परंतु ऐसी नियुक्ति पर विचार करते समय, यथास्थिति, लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड, प्रस्तावित लेखापरीक्षक के विरुद्ध भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा व्यावसायिक आचरण संबंधी मामलों के संबंध में किए गए किसी आदेश या उसमें लंबित कार्यवाही को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड, प्रस्तावित लेखापरीक्षक से ऐसी अन्य जानकारी मांग सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है, वहां समिति बोर्ड के विचारार्थ किसी व्यष्टि या किसी फर्म के नाम की लेखापरीक्षक के रूप में सिफारिश करेगी और अन्य मामलों में बोर्ड, वार्षिक साधारण अधिवेशन में लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यष्टि या किसी फर्म के नाम पर विचार करेगा और उसकी सिफारिश करेगा।

(4) यदि बोर्ड लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों से सहमत है तो वह वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों से किसी व्यष्टि या फर्म की लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु और सिफारिश करेगा।

(5) यदि बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश से असहमत है तो वह उस सिफारिश को, ऐसी असहमति के कारण बताते हुए पुनर्विचार हेतु समिति को वापस भेजेगा।

(6) यदि लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा दिए कारणों पर विचार करने के पश्चात्, अपनी मूल सिफारिश पर पुनर्विचार न करने का निश्चय करती है तो बोर्ड समिति से अपनी असहमति के कारण अभिलिखित करेगा और उसे अपनी सिफारिश को वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों के विचारार्थ भेजेगा; और यदि बोर्ड लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों से सहमत है, हो जाता है तो वह इस विषय को वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा विचार किए जाने हेतु रखेगा।

(7) वार्षिक साधारण अधिवेशन में नियुक्त लेखापरीक्षक, उस अधिवेशन की समाप्ति से लेकर छठे वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पदधारण करेगा और इसके लिए उस अधिवेशन को ऐसे प्रथम अधिवेशन के रूप में गिना जाएगा जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई है: परंतु ऐसी नियुक्ति छठे वार्षिक साधारण अधिवेशन तक प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में सामान्य संकल्प पारित करके अनुसमर्थन के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि नियुक्ति का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है तो निदेशक बोर्ड अधिनियम के अधीन इस निमित्त अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् इस आशय से बनाई गई किसी अन्य व्यष्टि या फर्म को अपना लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक समूह के रूप में नियुक्त करेगा।

4. **नियुक्ति की शर्तें और रजिस्ट्रार को सूचना** – (1) नियम 3 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि—

(क) यथास्थिति व्यष्टि या फर्म, नियुक्ति का पात्र है और इस अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नियुक्ति के लिए निरहंरित नहीं है।

(ख) प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के अधीन उपबंधित शर्तों के अनुसार है।

(ग) प्रस्तावित नियुक्ति, अधिनियम के प्राधिकार से या उसके अधीन अधिकथित सीमाओं के भीतर है।

(घ) प्रमाण-पत्र में यथाप्रकटित आचरण संबंधी व्यावसायिक मामलों के संबंध में लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म या लेखापरीक्षा फर्म के किसी भागीदार के विरुद्ध लंबित कार्यवाहियों की सूची सत्य और सही है।

(2) धारा 139 की उप-धारा (1) के चौथे परंतुक के अधीन लेखापरीक्षक की नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार को दी जाने वाली सूचना प्ररूप एडीटी-1 में दी जाएगी।

5. **कंपनियों के वर्ग** – धारा 139 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए कंपनियों के वर्ग से एक व्यष्टि कंपनियों और छोटी कंपनियों को छोड़कर कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों की कंपनियां अभिप्रेत हैं:—

- (क) दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की समादत्त शेयरपूंजी वाली सभी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां;
- (ख) बीस करोड़ रुपए या उससे अधिक की समादत्त शेयरपूंजी वाली सभी निजी लिमिटेड कंपनियां;
- (ग) ऊपर खंड (क) और खंड (ख) में वर्णित अधिकतम सीमा से कम समादत्त शेयरपूंजी वाली, किंतु जिनके पास वित्तीय संस्थानों, बैंकों या पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक के सार्वजनिक निक्षेपों वाली सभी कंपनियां।

6. **कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षकों की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् उनके चक्रानुक्रम की रीति** – (1) लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड को व्यक्तिगत लेखापरीक्षक या किसी ऐसी लेखापरीक्षा फर्म, जो ऐसे पदाधारी की पदावधि समाप्त होने पर पदाधारी लेखापरीक्षक का स्थान ले सकेगा, के नाम की सिफारिश करेगी।

(2) जहां किसी कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है, वहां बोर्ड ऐसी समिति की सिफारिश पर विचार करेगा, और अन्य दशाओं में, बोर्ड लेखापरीक्षकों के चक्रानुक्रम के मामले पर स्वयं विचार करेगा और वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा अगले लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश करेगा।

(3) लेखापरीक्षकों के चक्रानुक्रम के प्रयोजन के लिए –

(i) ऐसे लेखापरीक्षक की दशा में (चाहे कोई व्यक्ति हो या लेखापरीक्षा फर्म), यथास्थिति पांच सतत् वर्ष की या दस सतत् वर्ष की अवधि की गणना हेतु उस अवधि को हिसाब में लिया जाएगा जिसमें अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व लेखापरीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति या फर्म ने पदधारण किया था।

(ii) नया अन्तर्गामी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी यदि ऐसा लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म, समान लेखापरीक्षा फर्मों के नेटवर्क के अधीन पदावरोही लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म के साथ संबद्ध है।

स्पष्टीकरण I – इन नियमों के प्रयोजन के लिए “समान नेटवर्क” पद के अंतर्गत समान ब्रांड नाम, व्यापार नाम या समान नियंत्रण के अधीन अभी तक या भविष्य में प्रचालित या कार्यरत, फर्म भी हैं।

स्पष्टीकरण II – लेखापरीक्षकों के चक्रानुक्रम के प्रयोजन के लिए,

(क) पांच वर्षों की सतत् अवधि के लिए पद से अलग रहने को ही चक्रानुक्रम की अपेक्षा को पूरा करने के रूप में माना जाएगा;

(ख) यदि कोई ऐसा भागीदार, जो किसी लेखापरीक्षा फर्म का भारसाधक है और जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रमाणित भी करता है, उक्त फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी अन्य फर्म में कार्य ग्रहण करता है तो ऐसी अन्य फर्म भी पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु अपात्र होगी।

### व्यक्ति लेखापरीक्षक के मामले में चक्रानुक्रम के विक्षेपण का उदाहरण

दृष्टांत 1

ऐसे सतत् वर्षों की संख्या जिसके लिए कोई व्यक्ति लेखापरीक्षक समान कंपनी में धारा 139(2) के उपबंधों के प्रारंभ के पश्चात् आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन में लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है	सतत् वर्षों की अधिकतम संख्या जिसके लिए उसे समान कंपनी में नियुक्त किया जा सकेगा (संक्रमणकालीन अवधि सहित)	स्तम्भ I और स्तम्भ II को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षक द्वारा समान कंपनी में पूरी की गई कुल अवधि
I	II	III
5 वर्ष (या 5 वर्ष से अधिक)	3 वर्ष	8 वर्ष या अधिक
4 वर्ष	3 वर्ष	7 वर्ष
3 वर्ष	3 वर्ष	6 वर्ष
2 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
1 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

टिप्पण: (1) व्यक्ति लेखापरीक्षक के अंतर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति या फर्म भी हैं जिनके नाम या व्यापार चिन्ह या ब्रांड का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) सतत् वर्षों से ऐसे सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होंगे जिसके लिए कोई व्यक्ति लेखापरीक्षक पांच वर्ष या उससे अधिक समय का अंतराल न होने तक लेखापरीक्षक रहा है।

**दृष्टांत 2 लेखापरीक्षा फर्म के मामले में चक्रानुक्रम के विक्षेपण का उदाहरण**

ऐसे सतत् वर्षों की संख्या जिसके लिए कोई व्यक्ति लेखापरीक्षक समान कंपनी में धारा 139(2) के उपबंधों के प्रारंभ के पश्चात् आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन में लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है	सतत् वर्षों की अधिकतम संख्या जिसके लिए उसे समान कंपनी में नियुक्त किया जा सकेगा (संक्रमणकालीन अवधि सहित)	स्तम्भ I और स्तम्भ II को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षक द्वारा समान कंपनी में पूरी की गई कुल अवधि
I	II	III
10 वर्ष (या 10 वर्ष से अधिक)	3 वर्ष	13 वर्ष से अधिक
9 वर्ष	3 वर्ष	12 वर्ष
8 वर्ष	3 वर्ष	11 वर्ष
7 वर्ष	3 वर्ष	10 वर्ष
6 वर्ष	4 वर्ष	10 वर्ष
5 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष
4 वर्ष	6 वर्ष	10 वर्ष
3 वर्ष	7 वर्ष	10 वर्ष
2 वर्ष	8 वर्ष	10 वर्ष
1 वर्ष	9 वर्ष	10 वर्ष

**टिप्पण:** (1) लेखापरीक्षा फर्म में ऐसी अन्य फर्म भी सम्मिलित होंगी जिनके नाम या व्यापार चिन्ह या ब्रांड का उपयोगा फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा किया जाता है।

(2) सतत् वर्षों से ऐसे सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होंगे जिसके लिए कोई लेखापरीक्षा फर्म पांच वर्ष या उससे अधिक समय का अंतराल होने तक लेखापरीक्षा फर्म रही हो।

(4) जहां कोई कंपनी दो या उससे अधिक व्यष्टियों या फर्मों को या संयुक्त लेखापरीक्षक के रूप में उनके संयोजनों को नियुक्त करती है, वहां कंपनी, लेखापरीक्षकों का चक्रानुक्रम इस प्रकार कर सकेगी कि, यथास्थिति, दोनों या सभी संयुक्त लेखापरीक्षक, समान वर्ष में अपनी पदावधि पूर्ण न करें।

7. **पदावधि समाप्त होने से पहले किसी लेखापरीक्षक को हटाया जाना** – (1) लेखापरीक्षक को हटाए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन प्ररूप संख्या एडीटी-2 में किया जाएगा और इस आवेदन के साथ कंपनी (रजिस्ट्ररीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन इस प्रयोजन के लिए यथाउपबंधित फीस सलंग्न होगी।

(2) केंद्रीय सरकार को आवेदन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प करने के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(3) कंपनी केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर विशेष संकल्प पारित करने हेतु साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी।

8. लेखापरीक्षक का त्याग-पत्र – धारा 140 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, कोई लेखापरीक्षक किसी कंपनी से त्याग-पत्र दे देता है तो वह प्ररूप संख्या एडीटी-3 में एक विवरण फाइल करेगा।
9. केवल संबंधित भागीदारों पर व्यागत होने का दायित्व – किसी लेखापरीक्षा फर्म के आपराधिक दायित्व की दशा में जुर्माने से भिन्न अन्य दायित्व केवल ऐसे संबंधित भागीदार या भागीदारों का होगा, जिन्होंने कपटपूर्ण रीति से कार्य किया है या उसका दुष्प्रेरण किया है या किसी कपट में संलिप्त है।
10. लेखापरीक्षक की निरर्हता – (1) धारा 141 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i) के परंतुक के प्रयोजन के लिए किसी लेखापरीक्षक का कोई संबंधी कंपनी में एक लाख रुपए से अनधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां धारण नहीं कर सकेगा।  
परंतु कि इस उप-नियम के अधीन शर्तें, जहां सुसंगत हों, उस कंपनी की दशा में भी लागू होंगी जिनके पास शेयरपूजी या अन्य प्रतिभूतियां नहीं हैं।  
परंतु यह और कि किसी संबंधी द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक, किसी प्रतिभूति या हित के अधिग्रहण की दशा में लेखापरीक्षक द्वारा ऊपर निर्दिष्ट सीमा को बनाए रखने के लिए ऐसे अधिग्रहण या हित के साठ दिन के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (2) धारा 141 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो या जिसका कोई संबंधी या भागीदार कंपनी या उसकी अनुषंगी या उसकी नियंत्रि या सहयोगी कंपनी में या ऐसी नियंत्रि कंपनी की अनुषंगी कंपनी में पांच लाख रुपए से अधिक का ऋणी हो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
- (3) धारा 141 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (iii) के प्रयोजन कोई किसी व्यक्ति जिसने या जिसके किसी संबंधी या भागीदार ने किसी कंपनी या उसकी अनुषंगी या नियंत्रि या सहयोगी कंपनी या ऐसी नियंत्रि कंपनी की अनुषंगी कंपनी में किसी व्यक्ति के ऋण के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक की कोई प्रतिभूति दी है या प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (4) धारा 141 की उपधारा (3) के खंड (ड) के प्रयोजन के लिए, “कारबार संबंध” पद का अर्थन्वयन से निम्नलिखित के सिवाय वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए गए किसी सव्यवहार के रूप में किया जाएगा –
- (i) ऐसे वाणिज्यिक सव्यवहार जो इस अधिनियम और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा दिए जाने वाली अनुज्ञेय वृत्तिक सेवाओं की प्रकृति की हैं।
- (ii) ऐसे वाणिज्यिक सव्यवहार, जो आसन्निकट कीमत पर, दूरसंचार, वायु सेवाएं, अस्पताल, होटल और ऐसे अन्य कारबारों के कारबार में लगी हुई जैसे कंपनी के सामान्य अनुक्रम के कारबार हैं कंपनियों द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी लेखापरीक्षक को ग्राहक के रूप में उत्पादों अथवा सेवाओं की विक्री जैसे कंपनी के सामान्य अनुक्रम के कारबार हैं।
11. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर उनके विचार और टिप्पणियां भी सम्मिलित की जाएंगी अर्थात्:
- (क) क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का, यदि कोई हो, अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया है;
- (ख) क्या कंपनी ने किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा अपेक्षित, व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर पड़ने वाली महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियों, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है;
- (ग) क्या कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के अंतरण में कोई विलंब हुआ है।
12. शाखा एवं शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के संदर्भ में कंपनी के लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां – (1) धारा 143 की उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए, शाखा और शाखा लेखापरीक्षक, यदि कोई हो, की लेखापरीक्षा के संदर्भ में कंपनी के लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वह होंगी जो धारा 143 की उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट है:
- (2) शाखा लेखापरीक्षक कंपनी के लेखापरीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लेखापरीक्षक द्वारा कपट की रिपोर्ट करने के संबंध में उसके नियम 12 के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (12) के उपबंध ऐसे शाखा लेखापरीक्षक के लिए भी उस सीमा तक जहां तक उसका संबंध संबंधित शाखा से है, विस्तारित होंगे।

13. लेखापरीक्षक द्वारा कपट की रिपोर्ट करना – (1) धारा 143 की उपधारा (12) के प्रयोजन के लिए, यदि लेखापरीक्षक के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसा अपराध जिसमें कपट अंतर्भूत है, कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया गया है, तो वह अपनी जानकारी होने के साठ दिन के अंश्रात् और नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् तत्काल उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा:

- (i) लेखापरीक्षक कपट की जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद अपनी रिपोर्ट यथास्थिति, बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति, पैतालीस दिन के भीतर उनका उत्तर और टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करेगा;
- (ii) ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने पर लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट और बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति के उत्तर और टिप्पणियां (बोर्ड और या लेखापरीक्षा समिति के ऐसे उत्तर और टिप्पणियों पर) उस पर अपनी टिप्पणी सहित ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (iii) यदि लेखापरीक्षक को निर्धारित पैतालीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति के उत्तर या टिप्पणियां नहीं प्राप्त होती हैं तो वह केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति को पहले अग्रेषित की गई अपनी रिपोर्ट के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए इस टिप्पण के साथ कि विहित समय के भीतर उसे कोई उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं, अग्रेषित करेगा।

(2) रिपोर्ट रसीदी रजिस्ट्री डाक या त्वरित डाक द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजी जाएगी और उसके बाद ई-मेल द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी।

(3) यह रिपोर्ट लेखापरीक्षक के ऐसे लेटरहेड पर होगी जिसमें उसका डाक पता, ई-मेल पता और दूरभाष संख्या अंतर्विष्ट होगी तथा वह लेखापरीक्षक द्वारा उसकी मुहर सहित हस्ताक्षरित होगी तथा उसकी सदस्यता संख्या उपदर्शित की जाएगी।

(4) रिपोर्ट प्ररूप एडीटी-4 में यथाविनिर्दिष्ट एक विवरण के रूप में होगी।

(5) इस नियम के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, क्रमशः धारा 148 और धारा 204 के अधीन लागत लेखापरीक्षक और किसी अन्य सचिवीय लेखापरीक्षक को भी उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लागू होंगे।

14. लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक – धारा 148 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए –

(क) ऐसी कंपनियों की दशा में जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है-

(i) बोर्ड लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसायगत लागत लेखापरीक्षक या व्यावसायगत लागत लेखापरीक्षकों की कोई फर्म है, लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा जो ऐसे लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की सिफारिश भी करेगा;

(ii) खंड (i) के अधीन लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् शेयरधारकों द्वारा उसका अनुसमर्थन किया जाएगा।

(ख) अन्य ऐसी कंपनियों की दशा में जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसायगत लागत लेखापरीक्षक या व्यवसायगत लागत लेखापरीक्षकों की फर्म है, लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा और तत्पश्चात् ऐसे लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

## उपाबंध

<p><b>प्ररूप संख्या-एडीटी. 1</b> [नियम 4(2) देखें] कंपनी द्वारा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना</p>
<p>1.(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)</p>
<p>2.(क) कंपनी का नाम: (ख) कंपनी का भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख कारबार स्थान का पता: (ग) कंपनी का ई-मेल पता</p>
<p>3. उस अधिवेशन की तारीख जिसमें लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई _____</p>
<p>4. लेखापरीक्षक का वर्ग <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> फर्म</p> <p>5.(क) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का आयकर स्थाई खाता संख्या (ख) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का नाम (ग) लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक के फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या (घ) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का पता (ङ) शहर (च) राज्य (छ) पिन कोड (ज) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का ई-मेल आईडी</p> <p>स्थान: तारीख:</p>
<p style="text-align: center;">सत्यापन</p> <p>मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख..... के संकल्प संख्या ..... द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में और उससे संबंधित मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई गई है।</p> <p>अंकीय हस्ताक्षर किया जाए</p> <p>पदनाम (दिया जाए)</p> <p>प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की निदेशक पहचान संख्या</p>
<p>टिप्पणः इस ई-फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से और फाइलिंग करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रखा गया है। धारा 448 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें गलत विवरण और प्रमाणन के लिए दंड का उपाबंध है।</p>

**प्ररूप संख्या-एडीटी. 2**

पदावधि समाप्त होने के पहले लेखापरीक्षकों को उनके पद से हटाने हेतु आवेदन  
[नियम 7(1) देखें]

1.(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन):

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन):

2.(क) कंपनी का नाम:

(ख) कंपनी का भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख कारबार स्थान का पता:

(ग) कंपनी का ई-मेल पता:

3.(क) विशेष संकल्प संबंधित प्ररूप की सेवा अनुरोध संख्या

(ख) प्ररूप फाइल करने की तारीख

(ग) विशेष संकल्प पारित करने की तारीख

(घ) वार्षिक/असाधारण साधारण अधिवेशन की तारीख

4. लेखापरीक्षक को हटाने की अनुमति हेतु कारणों को स्पष्ट दर्शाने वाले आवेदन के ब्यौरे

5. क्या लेखों को पूर्ववर्ती तीन वर्षों में नियमानुकूल बनाया गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)

6. संबंधित लेखापरीक्षक को सुनवाई के लिए दिए गए अवसरों के ब्यौरे

7. क्या कंपनी असंबंधित अधिकारियों के मध्य कोई व्यवहार/फौजदारी कार्यवाही लंबित है। हां या नहीं। यदि हां, तो पूरा ब्यौरा दें।

8. संबंधित लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तारीख उसकी नियुक्ति की सूचना की सेवा अनुरोध

संख्या तथा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की अवधि।

9. क्या लेखापरीक्षकों को हटाने के लिए कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई है। हां या नहीं। यदि हां, तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख और ऐसी सूचना देने वाले सदस्यों के पास पूंजी का प्रतिशत या सदस्यों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों की संख्या का प्रतिशत।

10. क्या संबंधित लेखापरीक्षकों को देय सभी लेखापरीक्षा फीस का संदाय किया गया है। यदि नहीं, तो बकाया राशि का उल्लेख करें।

11. ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी को दी गई अन्य सेवाओं के ब्यौरे।

12. लंबित लेखापरीक्षाओं की संख्या अर्थात् वित्तीय वर्षों की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षा लंबित है।

13. ऐसे प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों का स्तर अर्थात् बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु शेष/बोर्ड द्वारा अनुमोदित किंतु लेखापरीक्षकों को हस्तांतरित किए जाने हेतु शेष/बोर्ड द्वारा अनुमोदित, लेखापरीक्षकों को हस्तांतरित किंतु लेखापरीक्षा पूर्ण किए जाने हेतु शेष/लेखापरीक्षा पूर्ण किंतु लेखापरीक्षकों द्वारा अभी तक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हो।



14. क्या ऐसे लेखाबहियों के संबंध में कोई विवाद है, जो लेखापरीक्षकों के कब्जे में हों किन्तु कंपनी को वापस नहीं सौंपे गए हों। हां या नहीं।

सत्यापन

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख ..... के संकल्प संख्या ..... द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में और उससे संबंधित मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। मैं यह भी घोषित करता हूं कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित यहां ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई गई है।

अंकीय हस्ताक्षर किया जाए

पदनाम (दिया जाए)

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की निदेशक पहचान संख्या (डिन)

संलग्नक:

1. विशेष संकल्प की प्रति
2. लेखापरीक्षक को हटाने के कारणों का ब्यौरा
3. वार्षिक साधारण अधिवेशन/असाधारण अधिवेशन का कार्यवृत्त
4. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

टिप्पण:

धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें गलत विवरण के लिए दंड और प्रमाणन के लिए दंड का उपबंध है।

कार्यालय प्रयोग हेतु: ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख.....

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

इस ई-प्ररूप को एतद्वारा अनुमोदित/अस्वीकार किया जाता है

हस्ताक्षर करने की तारीख



<p>प्ररूप संख्या-एडीटी. 3 [नियम 8 देखें] लेखापरीक्षक द्वारा त्याग-पत्र की सूचना</p>
<p>1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन):</p> <p>(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन):</p>
<p>2. (क) कंपनी का नाम:</p> <p>(ख) कंपनी का भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख कारबार स्थान का पता:</p> <p>(ग) कंपनी का ई-मेल पता</p>
<p>3. लेखापरीक्षक का प्रवर्ग <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> फर्म</p> <p>4. (क) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का आयकर स्थायी खाता संख्या (ख) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का नाम (ग) लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक के फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या (घ) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का पता (ङ) शहर (च) राज्य (छ) पिन कोड (ज) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक के फर्म का ई-मेल आईडी</p> <p>5. त्याग-पत्र देने के कारण</p> <p>6. क्या त्याग-पत्र संलग्न है हां/नहीं</p> <p>7. त्याग-पत्र से सुसंगत कोई अन्य तथ्य</p>
<p>सत्यापन</p>
<p>मैं यह पुष्टि करता हूँ कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है।</p> <p>मुझे इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए विहित रूप से प्राधिकृत किया गया है।</p> <p>अंकीय हस्ताक्षर किया जाए</p> <p>लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार</p> <p>क्या एसोशिएट है या फैलो *एसोशिएट *फैलो</p> <p>सदस्यता संख्या: संलग्नक:</p> <p>1. त्याग-पत्र, यदि संलग्न किया गया हो 2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।</p>

**प्ररूप संख्या-एडीटी. 4**

केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करना

[नियम 13(4) देखें]

तारीख:

विषय: ऐसे संदिग्ध अपराध जिसमें कपट किया जाना या कपट होना अंतर्ग्रस्त है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट।

1)(क) कंपनी का नाम

(ख) कारपोरेट पहचान संख्या:

(ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

2) (क) लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक के फर्म का नाम

(ख) सदस्यता संख्या

(ग) पता

3) उस वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख जिसमें लेखापरीक्षक को नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया था।

4) फाइल करने की सेवा अनुरोध संख्या तथा तारीख

5) कार्यालय या स्थान पता जहां संदिग्ध अपराध किया गया है/किया जा रहा है।

6) संदिग्ध अपराध जिसमें कपट अंतर्ग्रस्त है, का पूरा ब्यौरा (समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करें)

7) उन अधिकारियों/कर्मचारियों की विशिष्टियां जिन पर अपराध में सम्मिलित होने का संदेह है, यदि कोई हो:

क) नाम:

ख) पदनाम

ग) यदि निदेशक है, तो उसकी निदेशक पहचान संख्या (डिन)

घ) स्थायी खाता संख्या

8) कपट के संदेह का आधार:

- 9) वह अवधि जिसके दौरान संदिग्ध कपट किया गया
- 10) नियम 13(1) के अनुसार बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट भेजने की तारीख
- 11) बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति से उत्तर प्राप्त होने की तारीख, यदि कोई हो, और यदि इस प्रकार प्राप्त है तो उसकी प्रति संलग्न करें और उत्तर का सार दें
- 12) क्या लेखापरीक्षक बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति के उत्तर से संतुष्ट है। हां या नहीं।
- 13) संदिग्ध कपट की अनुमानित राशि
- 14) इस संबंध में कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे, यदि कोई हो (संदर्भों के साथ पूरा ब्यौरा दें)
- 15) कोई अन्य संगत सूचना

सत्यापन

मैं .....का मालिक/भागीदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एतद्वारा घोषित करता हूं कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित यहां ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं।

(लेखापरीक्षक का नाम,  
हस्ताक्षर और मुहर)

संलग्नक:

1. वैकल्पिक संलग्नक

टिप्पण: संलग्नकों सहित यह रिपोर्ट नियम 13 में उपबंधित रीति में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सीलबंद लिफाफे में दी जा रही है।

[फा. सं. 01/33/2013-सीएल V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2014

**G.S.R. 246(E).**—In exercise of powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 139, sub-sections (1) and (2) of section 140, sub-section (3) of section 141, sub-sections (2), (3), (8) and (12) of section 143, sub-section (3) of section 148 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 in so far as they relate to matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called as the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2014.

**2. Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annexure" means the Annexure enclosed to these rules;

(c) "fees" means fees specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(d) "Form" or "e-Form" means a form set forth under these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) "section" means section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

**3. Manner and procedure of selection and appointment of auditors.**- (1) In case of a company that is required to constitute an Audit Committee under section 177, the committee, and, in cases where such a committee is not required to be constituted, the Board, shall take into consideration the qualifications and experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment as auditor and whether such qualifications and experience are commensurate with the size and requirements of the company:

Provided that while considering the appointment, the Audit Committee or the Board, as the case may be, shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants of India or any competent authority or any Court.

(2) The Audit Committee or the Board, as the case may be, may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (1), where a company is required to constitute the Audit Committee, the committee shall recommend the name of an individual or a firm as auditor to the Board for consideration and in other cases, the Board shall consider and recommend an individual or a firm as auditor to the members in the annual general meeting for appointment.

(4) If the Board agrees with the recommendation of the Audit Committee, it shall further recommend the appointment of an individual or a firm as auditor to the members in the annual general meeting.

(5) If the Board disagrees with the recommendation of the Audit Committee, it shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration citing reasons for such disagreement.

(6) If the Audit Committee, after considering the reasons given by the Board, decides not to reconsider its original recommendation, the Board shall record reasons for its disagreement with the committee and send its own recommendation for consideration of the members in the annual general meeting; and if the Board agrees with the recommendations of the Audit Committee, it shall place the matter for consideration by members in the annual general meeting.

(7) The auditor appointed in the annual general meeting shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the sixth annual general meeting, with the meeting wherein such appointment has been made being counted as the first meeting:

Provided that such appointment shall be subject to ratification in every annual general meeting till the sixth such meeting by way of passing of an ordinary resolution.

*Explanation.*- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that, if the appointment is not ratified by the members of the company, the Board of Directors shall appoint another individual or firm as its auditor or auditors after following the procedure laid down in this behalf under the Act.

**4. Conditions for appointment and notice to Registrar.** — (1) The auditor appointed under rule 3 shall submit a certificate that -

- (a) the individual or the firm, as the case may be, is eligible for appointment and is not disqualified for appointment under the Act, the Chartered Accountants Act, 1949 and the rules or regulations made thereunder;
- (b) the proposed appointment is as per the term provided under the Act;
- (c) the proposed appointment is within the limits laid down by or under the authority of the Act;
- (d) the list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct, as disclosed in the certificate, is true and correct.

(2) The notice to Registrar about appointment of auditor under fourth proviso to sub-section (1) of section 139 shall be in Form **ADT-1**.

**5. Class of Companies.**- For the purposes of sub-section (2) of section 139, the class of companies shall mean the following classes of companies excluding one person companies and small companies:-

- (a) all unlisted public companies having paid up share capital of rupees ten crore or more;
- (b) all private limited companies having paid up share capital of rupees twenty crore or more;
- (c) all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned in (a) and (b) above, but having public borrowings from financial institutions, banks or public deposits of rupees fifty crores or more.

**6. Manner of rotation of auditors by the companies on expiry of their term.** —(1) The Audit Committee shall recommend to the Board, the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent.

(2) Where a company is required to constitute an Audit Committee, the Board shall consider the recommendation of such committee, and in other cases, the Board shall itself consider the matter of rotation of auditors and make its recommendation for appointment of the next auditor by the members in annual general meeting.

(3) For the purpose of the rotation of auditors-

- (i) in case of an auditor (whether an individual or audit firm), the period for which the individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of the Act shall be taken into account for calculating the period of five consecutive years or ten consecutive years, as the case may be;
- (ii) the incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firms.

*Explanation. I* - For the purposes of these rules the term “same network” includes the firms operating or functioning, hitherto or in future, under the same brand name, trade name or common control.

*Explanation. II* - For the purpose of rotation of auditors,-

- (a) a break in the term for a continuous period of five years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation;
- (b) if a partner, who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statements of the company, retires from the said firm and joins another firm of chartered accountants, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of five years.

#### **Illustration explaining rotation in case of individual auditor**

Illustration 1:-

Number of consecutive years for which an individual auditor has been functioning as auditor in the same company [in the first AGM held after the commencement of provisions of section 139(2)]	Maximum number of consecutive years for which he may be appointed in the same company (including transitional period)	Aggregate period which the auditor would complete in the same company in view of column I and II
I	II	III
5 years (or more than 5 years)	3 years	8 years or more
4 years	3 years	7 years
3 years	3 years	6 years
2 years	3 years	5 years
1 year	4 years	5 years

**Note: 1.** Individual auditor shall include other individuals or firms whose name or trade mark or brand is used by such individual, if any.

2. Consecutive years shall mean all the preceding financial years for which the individual auditor has been the auditor until there has been a break by five years or more.

**Illustration explaining rotation in case of audit firm**

Illustration 2:-

Number of consecutive years for which an audit firm has been functioning as auditor in the same company [in the first AGM held after the commencement of provisions of section 139(2)]	Maximum number of consecutive years for which the firm may be appointed in the same company (including transitional period)	Aggregate period which the firm would complete in the same company in view of column I and II
I	II	III
10 years (or more than 10 years)	3 years	13 years or more
9 years	3 years	12 years
8 years	3 years	11 years
7 years	3 years	10 years
6 years	4 years	10 years
5 years	5 years	10 years
4 years	6 years	10 years
3 years	7 years	10 years
2 years	8 years	10 years
1 year	9 years	10 years

Note:1. Audit Firm shall include other firms whose name or trade mark or brand is used by the firm or any of its partners.

2. Consecutive years shall mean all the preceding financial years for which the firm has been the auditor until there has been a break by five years or more.

(4) Where a company has appointed two or more individuals or firms or a combination thereof as joint auditors, the company may follow the rotation of auditors in such a manner that both or all of the joint auditors, as the case may be, do not complete their term in the same year.

**7. Removal of the auditor before expiry of his term.** —(1) The application to the Central Government for removal of auditor shall be made in Form **ADT-2** and shall be accompanied with fees as provided for this purpose under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(2) The application shall be made to the Central Government within thirty days of the resolution passed by the Board.

(3) The company shall hold the general meeting within sixty days of receipt of approval of the Central Government for passing the special resolution.

**8. Resignation of auditor.** —For the purposes of sub-section (2) of section 140, when an auditor has resigned from the company, he shall file a statement in Form **ADT-3**.

**9. Liability to devolve on concerned partners only.**— In case of criminal liability of any audit firm, the liability other than fine, shall devolve only on the concerned partner or partners, who acted in a fraudulent manner or abetted or, as the case may be, colluded in any fraud.

**10. Disqualifications of auditor.** — (1) For the purpose of proviso to sub-clause (i) of clause (d) of sub-section (3) of section 141, a relative of an auditor may hold securities in the company of face value not exceeding rupees one lakh:

Provided that the condition under this sub-rule shall, wherever relevant, be also applicable in the case of a company not having share capital or other securities:

Provided further that in the event of acquiring any security or interest by a relative, above the threshold prescribed, the corrective action to maintain the limits as specified above shall be taken by the auditor within sixty days of such acquisition or interest.

(2) For the purpose of sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (3) of section 141, a person who or whose relative or partner is indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company, in excess of rupees five lakh shall not be eligible for appointment.

(3) For the purpose of sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (3) of section 141, a person who or whose relative or partner has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company, or its subsidiary, or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company, in excess of one lakh rupees shall not be eligible for appointment.

(4) For the purpose of clause (e) of sub-section (3) of section 141, the term “business relationship” shall be construed as any transaction entered into for a commercial purpose, except -

(i) commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the Act and the Chartered Accountants Act, 1949 and the rules or the regulations made under those Acts;

(ii) commercial transactions which are in the ordinary course of business of the company at arm’s length price - like sale of products or services to the auditor, as customer, in the ordinary course of business, by companies engaged in the business of telecommunications, airlines, hospitals, hotels and such other similar businesses.

**11. Other matters to be included in auditors report.** —The auditor’s report shall also include their views and comments on the following matters, namely:-

(a) whether the company has disclosed the impact, if any, of pending litigations on its financial position in its financial statement;

(b) whether the company has made provision, as required under any law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts;

(c) whether there has been any delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the company.

**12. Duties and powers of the company’s auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor.**

— (1) For the purposes of sub-section (8) of section 143, the duties and powers of the company’s auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor, if any, shall be as contained in sub-sections (1) to (4) of section 143.

(2) The branch auditor shall submit his report to the company’s auditor.

(3) The provisions of sub-section (12) of section 143 read with rule 12 hereunder regarding reporting of fraud by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent it relates to the concerned branch.

**13. Reporting of frauds by auditor.**- (1) For the purpose of sub-section (12) of section 143, in case the auditor has sufficient reason to believe that an offence involving fraud, is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall report the matter to the Central Government immediately but not later than sixty days of his knowledge and after following the procedure indicated herein below:

(i) auditor shall forward his report to the Board or the Audit Committee, as the case may be, immediately after he comes to knowledge of the fraud, seeking their reply or observations within forty-five days;

(ii) on receipt of such reply or observations the auditor shall forward his report and the reply or observations of the Board or the Audit Committee along with his comments (on such reply or observations of the Board or the Audit Committee) to the Central Government within fifteen days of receipt of such reply or observations;

(iii) in case the auditor fails to get any reply or observations from the Board or the Audit Committee within the stipulated period of forty-five days, he shall forward his report to the Central Government along with a note containing the details of his report that was earlier forwarded to the Board or the Audit Committee for which he failed to receive any reply or observations within the stipulated time.

(2) The report shall be sent to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs in a sealed cover by Registered Post with Acknowledgement Due or by Speed post followed by an e-mail in confirmation of the same.

(3) The report shall be on the letter-head of the auditor containing postal address, e-mail address and contact number and be signed by the auditor with his seal and shall indicate his Membership Number.

(4) The report shall be in the form of a statement as specified in Form **ADT-4**.



(5) The provision of this rule shall also apply, mutatis mutandis, to a cost auditor and a secretarial auditor during the performance of his duties under section 148 and section 204 respectively.

**14. Remuneration of the Cost Auditor.-** For the purpose of sub-section (3) of section 148,—

(a) in the case of companies which are required to constitute an audit committee—

(i) the Board shall appoint an individual, who is a cost accountant in practice, or a firm of cost accountants in practice, as cost auditor on the recommendations of the Audit committee, which shall also recommend remuneration for such cost auditor;

(ii) the remuneration recommended by the Audit Committee under (i) shall be considered and approved by the Board of Directors and ratified subsequently by the shareholders;

(b) in the case of other companies which are not required to constitute an audit committee, the Board shall appoint an individual who is a cost accountant in practice or a firm of cost accountants in practice as cost auditor and the remuneration of such cost auditor shall be ratified by shareholders subsequently.

**FORM NO. ADT-1**

[See rule 4(2) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014]

**Notice of appointment of auditor by the company**

1. (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company:

(c) E-mail ID of the company

3. Date of meeting at which the auditor appointed \_\_\_\_\_

4. Category of Auditor  Individual  Firm

5. (a) Income Tax PAN of Auditor or auditor's firm

(b) Name of the Auditor or Auditor's firm

(c) Membership Number of Auditor or auditor's firm's registration number

(d) Address of the Auditor or auditor's firm

(e) City

(f) State

(g) Pin code

(h) E-mail id of the auditor or auditor's firm

Place:

Date:

**Verification**

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no..... dated..... to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

**To be digitally signed by**

Designation (to be given)

DIN of the person signing the form.

**Note:**

This eform has been taken on file maintained by the Registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company. Attention is also drawn to provisions of section 448 of the Act which provide for punishment for false statement.

**FORM NO. ADT-2****Application for removal of auditor(s) from his/their office  
before expiry of term**

[See rule 7(1) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014]

1. (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company:

(b) Global Location Number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company:

(c) E-mail ID of the company:

3.(a) Service request number of relevant special resolution

(b) date of filing the form

(c) date of passing the special resolution

(d) date of the annual/extraordinary general meeting

4. Details of the application clearly indicating the grounds for seeking removal of auditor

5. Whether the accounts have been qualified during last three years (if yes, give details)

6. Details of opportunity given to auditor concerned for being heard

7. Whether any civil or criminal proceedings are pending between the company and the concerned officers. \_\_\_ Yes \_\_\_ No. If yes, give complete details.

8. Date of appointment of the concerned auditor and SRN of notice of his appointment and period for which the auditor was appointed.

9. Whether any special notice has been received for removal of auditors. Yes or No. If yes, the date of receipt of notice and the percentage of capital held by the members giving such notice or percentage of the number of members in case of company limited by members.

10. Whether all due audit fee has been paid to the concerned auditors. If no mention the amount of arrears.

11. Details of other services been rendered by such auditors to the company.

12. Pendency of Audit i.e, number of financial years for which audit is pending.

13. Stage of accounts of the company for each of such financial year i.e, yet to be approved by the Board or approved by the Board but yet to be handed over to auditors or approved by the Board, handed over to auditors but audit not yet completed or audit completed, draft report not yet given by the auditors.

14. Whether there is any dispute with regard to the Books of Accounts in the possession of auditors but not delivered back to the company. Yes or No.

### Verification

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no..... dated..... to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

**To be digitally signed by**

Designation (to be given)

DIN of the person signing the form

**Attachments:**

1. Copy of the special resolution
2. Details of the grounds for seeking removal of auditor
3. Minutes of the annual general meeting or extraordinary general meeting
4. Optional attachments, if any

Note:

Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

For office use only: E-form Service Request Number (SRN)..... E-form filing date....

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved/rejected

Date of signing

**FORM NO. ADT-3**

[See rule 8 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014]

**Notice of Resignation by the Auditor**

1. (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company:

(b) Global Location Number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company:

(c) E-mail ID of the company:

3. Category of Auditor    Individual  Firm 

4. (a) Income Tax PAN of auditor or auditor's firm

(b) Name of the auditor or auditor's firm

(c) Membership Number of auditor or auditor's firm's registration number

(d) Address of the auditor or auditor's firm

(e) City

(f) State

(g) Pin code

(h) Email id of the auditor or auditor's firm

5. Reasons for resignation

6. Whether letter of resignation is attached Yes/No

7. Any other facts relevant to the resignation

**Verification**

I hereby confirm that the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I am duly authorised to sign and submit this form.

To be digitally signed by

Auditor / Partner of the audit firm

Whether Associate or Fellow:

\_\_\_ Associate    \_\_\_ Fellow

Membership Number:

Attachments:

1. Resignation letter, if attached

2. optional attachments, if any.

**Form No.ADT-4****REPORT TO THE CENTRAL GOVERNMENT**

[See rule 13(4) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014]

Date:

**Subject:** Report under sub- section (12) of section 143 of the Companies Act, 2013 on suspected offence involving fraud being committed or having been committed

1) (a) Name of the Company

(b) CIN:

(c) Address of the Registered Office:

2) (a) Name of the auditor or auditor's Firm

(b) Membership Number

(c) Address

3) Date of the annual general meeting when the Auditor was appointed or reappointed

4) SRN and date of filing

5) Address of the office or location where the suspected offence is believed to have been or is being committed

6) Full details of the suspected offence involving fraud (attach documents in support)

7) Particulars of the officers or employees who are suspected to be involved in the commission of the offence, if any:

a) Name(s) :

b) Designation

c) If Director, his DIN

d) PAN

8) Basis on which fraud is suspected:

9) Period during which the suspected fraud has occurred

10) Date of sending report to the Board or Audit committee as per rule 13(1)

11) Date of reply received from Board or Audit committee, if any and if so received, attach copy thereof and give gist of the reply

12) Whether the auditor is satisfied with the reply of the Board or Audit committee. Yes \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_.

13) Estimated amount involved in the suspected fraud;

14) Details of steps , if any, taken by the company in this regard;

(Furnish full details with references)

15) Any other relevant information.

**VERIFICATION**

I, ....., Proprietor/Partner of ....., Chartered Accountants do hereby declare that the information furnished above is true, correct and complete in all respects including the attachments to this form.

(Name, Signature and

Seal of the Auditor)

**Attachments:**

1 Optional attachments

**Note :** The report on this form along with attachments thereto is to be given in a sealed cover to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs in the manner provided in Rule 13.

[F. No. 1/33/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.